

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प.3 (ई)एसीपी/अलेसे II / 1988 / 536

दिनांक :- 07-06-2017

आदेश संख्या : 33

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7)वित्त(नियम)/2008/दिनांक 12.09.2008 ,आदेश संख्या एफ. 11(7)वित्त(नियम) पार्ट-II/2008 दिनांक 06.10.2008 एवं प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिक / कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(88)वित्त(नियम) 2008 दिनांक 05 जुलाई, 2013 एवं एफ 14 (88) एफ डी / रूल्स / 2008 - I दिनांक 06.10.2015 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे-बैंड 2 (9300-34800) में ग्रेड-पे 5400/- स्वीकृत की जाती है।)

क्र.स.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच न.	कनिष्ठ लेखाकार / समान ग्रेड पे में अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1*	अमित कुमार पारीक - [4636]	43 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
2*	अनिल कुमार जैन - [4632]	16 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
3*	अनिल कुमार जैन - [4755]	371 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
4*	अशोक कुमार तनेजा - [4659]	72 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
5*	भोलाशंकर शर्मा - [5004]	355 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
6*	भुपेन्द्रकुमार गुप्ता - [5134]	527 / 1988	18/04/1990	18/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
7*	ब्रह्मदेव शर्मा - [5117]	388 / 1988	21/04/1990	21/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
8*	गजराज सिंह सोलंकी - [2454]	328 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
9*	हरबंस सिंह - [2577]	100 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
10	हरि शंकर शर्मा - [2575]	28 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	
11*	जयसिंह सहारण - [4060]	89 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
12*	कैलाश चन्द राणा - [8847]	351 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
13*	कमलकिशोर अग्रवाल - [4304]	88 / 1980	05/04/1990	05/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
14*	लक्ष्मीनारायण यादव - [9066]	27 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
15*	राजेश बाकलीवाल - [9092]	194 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
16*	राजेश इसरानी - [1747]	339 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
17*	राजेश्वर अरोड़ा - [1737]	272 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
18*	रामबाबू टेलर - [1676]	101 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
19	रमेश चन्द शर्मा - [9309]	152 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	
20*	सुभाष चन्द खेदड़ - [5388]	160 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय

21*	सुनील कुमार राठी - [5495]	259 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
22*	सुरेश कुमार शर्मा - [5355]	35 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
23*	विजय मुखर्जी - [5663]	203 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
24*	विनय कुमार कोठारी - [5655]	163 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय
25*	विपिन - [5646]	99 / 1988	16/04/1990	16/04/2017	9 वर्ष की एपीएआर जाँच के आधार पर देय

*उपरोक्त क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय के गत सात वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिक / कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

- 1 पुनरीक्षित वेतनमान 2008 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
- 2 पूर्व में तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
- 3 कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
- 4 इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
- 5 गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- प.3 (ई)एसीपी/अलेसे II / 1988 / 536

दिनांक :- 07-06-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय

. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।

. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

. रक्षित/निजी पत्रावली।

(सांवर मल)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)